Email

भा.कृ.अनु.प. - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान

अनुसंधान केन्द्र, वासद - ३८८ ३०६, जिला – आणंद, गुजरात

ICAR – Indian Institute of Soil & Water Conservation

Research Centre, Vasad – 388 306, Dist. Anand (Gujarat)

ISO 9001:2015

सं0 10-1/2022-23/Stores/वासद/ 1823 दिनांक : 05/04/2022

सेवा में,

1 प्रभारी अधिकारी / प्रबंधक,
मंडी समिति,
आनंद / वडोडरा, गुजरात ।

2 वासद ग्राम पंचायत कार्यालय ।

3 राजूपुरा ग्राम पंचायत कार्यालय ।

4 मै0 / श्रीमान........................ (संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : केन्द्र के अनुसंधान प्रक्षेत्र में **आम एवं नींबू / लेमन के फलों की फसल** की **खुली नीलामी** हेतु नीलामी नोटिस ।

महोदय,

आपको सूचित करना है भा.कृ.अ.प.– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, वासद द्वारा केन्द्र के अनुसंधान प्रक्षेत्र, जो कि वडोडरा–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वासद टोल नाका के साथ स्थित है, में स्थित **आम एवं नींबू / लेमन के फलों के बगीचों की फसल** की खुली नीलामी **दिनांक 18–04–2022 को प्रातः 11–00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र के कार्यालय में संपन्न की जायेगी।** उपरोक्त नीलामी से संबंधित **विस्तृत नीलामी नोटिस** इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि कृप्या केन्द्र के इस नीलामी नोटिस को संबंधित ठेकेदारों / फर्मों / व्यक्तियों में परिचालित करने का कष्ट करें ताकि इच्छुक बोलीदाता नीलामी की शर्तों का पालन करते हुए नीलामी प्रकिया में भाग ले सकें ।

भवदीय

(संजय पंत)
सहा0 प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपी :–

1 निदेशक, भा.कृ.अ.प.–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित है ।

2 प्रभारी अधिकारी, अनुसंधान प्रक्षेत्र । कृप्या नीलामी नोटिस को प्रक्षेत्र के नोटिस बोर्ड में चस्पा करें तथा प्रक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों / फर्मों को नीलामी प्रकिया के संबंध में सूचित करें ।

3 मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, भा.कृ.अ.प.–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून ।

4 प्रभारी अधिकारी, ए.के.एम.यू., भा.कृ.अ.प.–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृप्या संलग्न नीलामी नोटिस को संस्थान की वेबसाईट में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें ।

5 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकीर (भंडार) भा.कृ.अ.प.–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृप्या संलग्न **नीलामी नोटिस को ई–प्रोक्यूरमेंट वेबसाईट** में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें

6 केन्द्र कार्यालय का नोटिस बोर्ड ।

05/04/2022
(संजय पंत)
सहा0 प्रशासनिक अधिकारी

Tel: (O) 02692-274226,
FAX: 02692-274806

E-mail : cswcrtivsd@yahoo.co.in ; ashok.singh4@icar.gov
Website: www.iiswc.icar.gov.in ; www.cswcrtiweb.org
Twitter : https://twitter.com/icariiswc

भा.कृ.अनु.प. - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, वासद - ३८८ ३०६, जिला – आणंद, गुजरात
ICAR – Indian Institute of Soil & Water Conservation
Research Centre, Vasad – 388 306, Dist. Anand (Gujarat)

ISO 9001:2015

सं0 10-1/2022-23/Stores/Vasad/1823 दिनांक : 05/04/2022

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि इस अनुसंधान केन्द्र द्वारा अपने अनुसंधान प्रक्षेत्र जो वडोडरा–अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वासद टोल नाका के साथ स्थित है के **आम एवं नींबू/लेमन** के फलों की फसल, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, की **खुली नीलामी (Open Auction)** दिनांक 18–04–2022 को प्रातः **11–00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र के कार्यालय** में संपन्न की जायेगी :–

कम सं0	प्लॉट का विवरण जहाँ फल का बगीचा स्थित है तथा फल का नाम एवं प्रजाति	पेड़ों की सं0	फलों की फसल की नीलामी की अवधि	प्रत्येक फल की फसल की नीलामी प्रकिया में भाग लेने हेतु सिक्योरिटी राशि का विवरण
1	प्लॉट सं0 67 – आम की फसल			
	आम –देसी	32	सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराये जाने की तिथी से 30 जून, 2022 तक	रू0 15,000/– (रूपये पंद्रह हजार) मात्र
	आम –केसर	05		
	आम –लंगडा	02		
	आम–जमादार	01		
	आम–तोतापरी	03		
	आम–दशहरी	02		
	टाम–चायरी	05		
	टाम–आम्रपाली	05		
	कुल	55		
2.	प्लॉट सं0 995 – नीबू/लेमन			
	नींबू/लेमन कुल	17	सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराये जाने की तिथी से 30 जून, 2022 तक	रू0 5,000/– (रूपये पॉच हजार) मात्र

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नप्रकार से है :–

1. उपर्युक्त फलों के बगीचे की फसल की नीलामी प्रकिया में भाग हेतु इच्छुक बोलीदाता को **दिनांक 18–04–2022 को प्रातः 11–00 बजे से 11–30 बजे तक** अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात नीलामी पकिया प्रारंभ कर दी जायेगी । बोलीदाता को आम एवं नींबू की फसल की नीलामी में भाग लेने हेतु अलग–अलग सिक्योरिटी राशि करानी होगी । **पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज इत्यादि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :–**
   1. प्रत्येक फसल की नीलामी में भाग लेने हेतु **सिक्योरिटी राशि** (नकद अथवा डिमांड ड्राफट जो कि Head, ICAR-IISWC, RC, Vasad के पक्ष में देय हो) ।
   2. बोलीदाता के **आधार कार्ड** की प्रतिलिपी ।
   3. बोलीदाता के **बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो** की प्रतिलिपी ।
   4. **सलग्नक–अ** के प्रारूप मे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र ।
   5. बोलीदाता के **पेन कार्ड** की प्रतिलिपी, **यदि है** ।
   6. बोलीदाता के **जी0एसी0टी0 रजिस्ट्रेशन** की प्रतिलिपी, **यदि है** ।

04/04/2022

2. यदि बोलीदाता द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने के तथ्य सामने आते हैं तो ठेका समय अवधि के दौरान केन्द्र के सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित ठेके को निरस्त करने व ठेके से संबंधित जमा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी ।
3. प्रत्येक फसल की फसल का नीलामी का आधार **अधिकतम बोली दर** होगी ।
4. सफल/अधिकतम बोलीदाता की **सिक्योरिटी राशि** को केन्द्र के पास नीलामी ठेका प्रकिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा असफल बोलीदाताओं की सिक्योरिटी राशि को बोली प्रकिया के पश्चात वापिस कर दिया जायेगा ।
5. बोलीदाताओं द्वारा जमा करायी गयी किसी भी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा ।
6. नीलामी स्थल पर जिन व्यक्तियों द्वारा अपना पंजीकरण कराया जायेगा, केवल उन्ही व्यक्तियों को टोकन जारी करते हुए नीलामी समिति के समक्ष उपस्थित रहते हुए बोली लगाने का अधिकार होगा । अन्य किसी भी व्यक्ति को नीलामी स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।
7. बोली प्रकिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति उन्हे अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर केन्द्र के सक्षम अधिकरी महोदय के निर्णय/अनुमोदन के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं तत्पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे । अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्राध्यक्ष, अनुसंधान केन्द्र, वासद के पास सुरक्षित रहेगा ।
8. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के **तीन दिवस के भीतर नीलामी राशि का 100% राशि** केन्द्र के कार्यालय में उपलब्ध POS मशीन अथवा डिमांड ड्राफट के माध्यम से जो कि **Head, ICAR-IISWC, RC, Vasad** के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी ।
9. सफल बोलीदाता द्वारा सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करायी गयी धनराशि को नीलामी ठेका की देय **100%** राशि में समायोजित जमा कराये जाने हेतु सहमति दे सकता है तथा यदि सफल बोलीदाता सिक्योरिटी राशि को नीलामी की देय **100%** राशि में समायोजित नहीं कराना चाहता है तो उसे सिक्योरिटी राशि ठेका आवंटन के सभी देय जमा कराने के पश्चात वापिस कर दी जायेगी ।
10. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी की **100%** राशि उपरोक्तानुसार ना जमा कराये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा करायी गयी सिक्योरिटी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।
11. सफल बोलीदाता को उपरोक्त 100% नीलामी राशि के साथ–साथ नीलामी ठेके का **अनुबंध पत्र** रू0 100/– के नॉन–जुडिशियल स्टॅाप पेपर में नोटराईज्ड प्रस्तुत करना होगा । इस अनुबंध पत्र का प्रारूप केन्द्र द्वारा नीलामी आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।
12. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त **कुल नीलामी राशि का 10% धनराशि** नीलामी ठेके की **धरोहर राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में** उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ अलग से जमा करानी होगी । यह राशि केन्द्र के कार्यालय में उपलब्ध POS मशीन अथवा डिमांड ड्राफट के माध्यम से जो कि **Head, ICAR-IISWC, RC, Vasad** के पक्ष में देय हो द्वारा जमा करायी जा सकती है । यह राशि नीलामी ठेका अवधि + 60 दिवस पूर्ण होने के पश्चात आवंटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की रिर्पोट प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र से प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जायेगी । ठेकेदार द्वारा अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी संपत्ति अथवा बगीचे को किसी प्रकार के नुकसान पहुॅचाने अथवा ठेके का संचालन संतोषप्रद ना करने की स्थिति में यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी ।
13. सफल बोलीदाता को ठेके सें संबंधित सभी देय तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही बगीचे में प्रवेश तथा फलों को तोड़ने की अनुमति दी जायेगी तथा वह दिनांक 30–6–2022 तक ही फलों के बगीचे में रह सकते हैं ।
14. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के संदर्भ में जमा करायी जाने वाली संपूर्ण राशि की व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा की जानी होगी । **किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से उक्त राशि का भुगतान/जमा कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी** । यदि नीलामी ठेका अवधि के दौरान किसी भी समय केन्द्र के संज्ञान यह तथ्य आता है कि ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है तब ऐसी स्थिति में ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित सभी राशि को जब्त कर लिया जावेगा जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट भी कर दिया जायेगा ।

04/04/2022

15. सफल बोलीदाता के पक्ष में नीलाम किये गये बगीचे की देख–रेख, सुरक्षा, फल तोड़ने, तोडे हुए फलों को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने आदि की सम्पूण जिम्मेदारी ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी। केन्द्र इस सन्दर्भ में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा। फलों के किसी भी प्रकार नुकसान की जिम्मेदार केन्द्र की नहीं होगी ।
16. सफल निविदादाता द्वारा अपने कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों द्वारा यदि केन्द्र के किसी भवन, पेड व अन्य सम्पति को हानि पहुंचायी जाती है तब ऐसी स्थिति में केन्द्र के केन्द्रायक्ष द्वारा समिति का गठन करते हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा जिसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
17. नीलाम किये गये फलों के बगीचे की फसल तथा पेड़ों की देख–रेख, सुरक्षा इत्यादि का कार्य संबंधित ठेकेदार का होने के कारण यदि उक्त बगीचों में किसी प्रकार की पेड़ काटने, आगजनी इत्यादि की घटना घटित होती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से घटना पर काबू पाये जाने की उचित कार्यवाही पूर्ण करते हुए घटना की सूचना प्रक्षेत्र प्रभारी/अधीक्षक को तत्काल दूरभाष/मोबाईल/लिखित में देनी होगी ।
18. सफल बोलीदाता को नीलामी ठेके का संचालन, फलों की तुडाई इत्यादि का कार्य **स्वयं अपनी** देख–रेख में ही पूर्ण करना होगा । सम्बन्धित ठेकेदार आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोषित नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार का इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय केन्द्र के संज्ञान में आता है ऐसी स्थिति में यह ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
19. केन्द्र अपनी आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक हुआ तो ही फलों के बगीचों की नीलामी की अवधि तक उर्वरक, केमिकल, पेस्टीसाइट एवं पानी इत्यादि उपलब्ध करायेगा तथा उक्त सभी प्रकार के उर्वरक, केमिकल, पेस्टीसाइट व पानी आदि का प्रयोग इत्यादि हेतु ठेकेदार द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे । यह कार्य ठेकेदार को प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र की अनुशंसा एवं निर्देश पर ही करना होगा । ठेकेदार द्वारा इस संबंध में अपनी ओर से कोई भी किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं की जायेगी ।
20. फल बगीचों में अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पल लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचरियों की देख–रेख में पूर्ण किये जायेंगें जिसके लिए ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।
21. ठेका संचालन में ठेकेदार द्वारा लगाये गये अपने कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार की जान–माल की हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। केन्द्र किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा ना ही किसी प्रकार के हर्जाने के लिए जिम्मेदार होगा ।
22. ठेकेदार श्रमिक कानूनों से संबंधित सभी नियमों का पालन करेगा तथा इनका पालन ना करने की स्थिति में किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा ।
23. ठेका संचालन में केन्द्र किसी भी प्रकार से कोई श्रमिक उपलब्ध नही करायेगा तथा ना ही किसी प्रकार का कोई औजार, लाठी, टॉर्च आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
24. ठेकेदार द्वारा बगीचों की पहरेदारी, निगरानी व फल आदि तोडने हेतु कार्य पर लगाये गये सभी श्रमिकों का पूर्ण विवरण तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपी सत्यापित करते हुए प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र (OIC Farm) को जमा करानी होगी, उक्त सूचना के अभाव में ठेकेदार के किसी भी श्रमिक को प्रक्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही होगी।
25. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रकिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
26. ठेके से संबंधित किसी भी मामले के लिए ठेकेदार केवल प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र अथवा प्रक्षेत्र अधीक्षक के संपर्क करेगा ।
27. जहॉं भी किसी भी प्लॉट यदि ठेकेदार को नीलाम की गयी फसल के अतिरिक्त कोई अन्य फसल भी होने की स्थिति में ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी अन्य फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुॅंचायेंगे तथा ऐसा पाया जाता है तो उसकी भरपायी ठेकेदार को करनी होगी ।
28. यदि आम तथा नीबूं/लेमन के फलों की फसल का नीलामी ठेका दो अलग–अलग फर्म/व्यक्तियों के नाम आवंटित होता है तो प्रत्येक फसल की सुरक्षा/देख–देख की जिम्मेदारी संबंधित ठेकदार की होगी। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों के मध्य यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों फसलों का नीलामी ठेका निरस्त कर दिया जायेगा ।

04/04/2022

29. केन्द्र की आवश्यकतानुसार यदि आवश्यक होगा तो ठेकेदार फलों के बगीचे से प्राप्त फसल की उपज संबंधित जानकारी उपज के आंकलन हेतु प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र को देंगे । सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप दस्तावेज प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
30. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व केन्द्र के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा ।
31. बोलीदाताओं को उपरोक्त फलों की फसल की स्थिति का आंकलन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हुए ही अपनी बोली प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है । यदि मौसम अथवा अन्य किसी कारणों से पेड़ों पर फल कम/नहीं आता है अथवा किसी अन्य अथवा मौसमी कारणों से फलों की फसल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी । इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की वार्ता/ कथन/ शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।
32. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस की जारी होने की तिथि के पश्चात से दिनांक 17-04-2022 तक किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 11-00 बजे से सांय 4:00 बजे के मध्य** अनुसंधान प्रक्षेत्र में उपरोक्त फलों के बगीचों का अवलोकन प्रक्षेत्र प्रभारी/प्रबंधक की अनुमति/निगरानी में कर सकते हैं ।
33. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए किसी को भी अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी ।
34. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार आंनद, गुजरात न्यायालय होगा।
35. उपर्युक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे । वह बोलीदाताओं मे से किसी एक अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखतें हैं ।

अतः नीलामी प्रकिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रकिया में भाग ले सकते हैं

04/04/2022
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक–अ

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

(अनुसंधान केन्द्र, वासद के अनुसंधान प्रक्षेत्र में आम एवं नींबू/लेमन के फलों की फसल की खुली नील्नामी)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने भा0कृ0अ0प0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, वासद द्वारा इसके अनुसंधान प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फलो की नीलामी हेतू जारी नीलामी नोटिस सं0 10–1/ 2022–23/ भंडार/वासद/...................... दिनांक.........................मे अंकित सूचना को भली–भांति पढ लिया है तथा नीलामी शर्तों को पूर्ण पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद ही मैं नीलामी प्रकिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत हो रहा हूँ । मैं नीलामी नोटिस में अंकित सभी नियम एवं शर्तो से पुर्ण रूप से सहमत हुँ तथा किसी भी विवाद की स्थिति में में नीलामी नोटिस के सभी नियम एवं शर्तो के पालन हेतु पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। यदि मेरे द्वारा नीलामी ठेका नियम व शर्तों का किसी भी समय उल्लंघन किया जाता हैं तो केन्द्राध्यक्ष, अनुसंधान केन्द्र, वासद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस नीलामी ठेके के संबंध में अंतिम निर्णय लें तथा उनके द्वारा लिया गया निर्णय हमें पूर्ण रूप से मान्य होगा ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं/हमारी फर्म को भारत सरकार/राज्य सरकारों के किसी भी विभागों तथा उपकमों द्वारा किसी भी प्रकार से ब्लेकलिस्टिड नहीं किया गया है । यदि इस संबंध में केन्द्र को किसी भी समय कोई सूचना प्राप्त होती है तो केन्द्र मुझे ठेके की प्रकिया से बाहर कर सकता है । यदि मेरे नाम नीलामी ठेका छूटने के पश्चात भी मेरे ब्लेकलिस्ट होने की सूचना केन्द्र को प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में भी केन्द्र इस ठेके को निरस्त कर सकता है तथा मेरे द्वारा केन्द्र में जमा करायी गयी संपूर्ण राशि को जब्त कर सकता हैं । यदि मेरे द्वारा इस संबंध में कोई भी तथ्य छुपाया जाता है तो इसके लिए में पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा केन्द्र द्वारा नीलामी ठेके की जब्त की गयी राशि तथा अन्य कार्यवाही के संबंध में कोई भी वाद दायर नहीं करूँगा । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार को कोई कानून्नी/अपराधी केस किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

मैं केन्द्र को यह अधिकार देता हूँ कि वह मेरे द्वारा ठेका नीलामी से संबंधित केन्द्र में जमा करायी गयी धनराशि के संदर्भ में वह संबंधित बैंक से आवश्यक जानकारी ले सकता है तथा इसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है/होगी ।

मैने उपरोक्त घोषणा को भली प्रकार से पढ़/समझ लिया है तथा मैं इसे अपने पूर्ण होशोहवास में हस्ताक्षरित कर रहा हूँ ।

बोलीदाता/फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ....
बोलीदाता/फर्म की मोहर, यदि है ....
बोलीदाता/फर्म नाम ....
पत्राचार का पता ....
सम्पर्क फोन/मोबाईल नं0 ....

04/04/2022